



कार्यालय आयकर निदेशक (छूट),  
Office of the Director of Income Tax (Exemption)  
दूसरी मंजिल, नेचर व्यू बिल्डिंग, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009  
(Tel: 26586665/ Tele & Fax: 26584551)

फा.सं. आनि(छू.)/12एए/390/2009-10

ता.:23-03-2010

पैन/PAN : AABTC1095N

ट्रस्ट का नाम/ Name of the Trust : **CHINAI FOUNDATION**  
**12/A, Devpreet Bungalows, Opp. New**  
**Engineering College, Visat Koba**  
**Highway, Motera, Ahmedabad -380 005**

ORDER UNDER SECTION 12AA OF THE INCOME TAX ACT IN THE CASE OF  
**CHINAI FOUNDATION** / \_\_\_\_\_ के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एएके अंतर्गत  
आदेश

उक्त ट्रस्ट/संस्थान ने दिनांक \_\_\_\_\_ को फॉर्म सं 10ए में आवेदन किया है जिसका विवरण इस प्रकार से है:  
The above named Trust/Institution has filed an application in Form No.10A on  
27-10-2009. The particulars are as under:-

(क) ट्रस्ट डीड/संविधान -Trust- deed /Constitution Dated : **31-07-2009**

(ख) रजिस्ट्रार, सोसायटी/कंपनी के साथ संगठन के पंजीकरण का ज्ञापन दिनांक

Memorandum of Association registered with the  
Registrar of Societies/Companies on : **08-10-2009**

तदनुसार, ट्रस्ट/संस्थान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए(2) के तहत \_\_\_\_\_ से पंजीकृत  
किया जाता है.

Accordingly, the Trust/Institution has been registered u/s.12AA of the I.T.Act 1961, with  
effect from **31-07-2009**.

इस प्रमाण पत्र द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अंतर्गत केवल पंजीकरण किया गया है इससे  
धारा 11,12 व 13 या आयकर अधिनियम 1961 के अन्य उपबन्धों के संचालन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है. इनके बारे  
में निर्धारण अधिकारी योग्यता के आधार पर निर्णय लेगा.

This certificate testifies to the fact of registration u/s.12AA of the IT Act, 1961 only. It  
does not confer any right or entitlement regarding operation of Sections 11, 12, & 13 or any  
other provisions of the IT Act, 1961 which is to be decided by the Assessing Officer on merits.

मेरे द्वारा अहमदाबाद में दिनांक \_\_\_\_\_ को दिया गया.

Given under my hand at Ahmedabad on the **23<sup>rd</sup> March, 2010** .



प्रतिलिपि :

- (1) उक्त आवेदक को / Above Applicant
- (2) अपर आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद
- (3) उप आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद
- (4) गार्ड फाईल

( के के अरुण )

आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद  
Director of Income Tax (Exemption), Ahmedabad

(एम के परमार )

आयकर अधिकारी (मु.),  
Income Tax Officer (HQ)  
कृते आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद  
For Director of Income Tax (Exemption), Ahmedabad